सत्यमेव जयते

संख्या : /जी0एस0(शिक्षा)/A15-25/2019

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

10 MAY 2022

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : **देहरादून : दिनांक : ~~अप्रैल,~~ 2022**

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–8124/एचएनबीयूएमयू/2019–20 दिनांक 13 फरवरी, 2020, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें माध्यम से आपके द्वारा अरिहन्त कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम शान्तरशाह, पो0 दौलतपुर, जिला हरिद्वार को बी0–एससी0 (नर्सिंग) पोस्ट बेसिक बी0–ससी0 (नर्सिंग) एम0–एससी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2019–20 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध कराया गया है।

2– अतः शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलपति की संस्तुति एवं कुलसचिव की आख्या एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम–2014 की धारा–36(1) के अर्न्तगत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण पर मा0 कुलाधिपति द्वारा छात्रहित में अनुमति/स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :–

महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुति के अनुसार)	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4
अरिहन्त कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम शान्तरशाह, पो0 दौलतपुर, जिला हरिद्वार।	बी0–एससी0 (नर्सिंग)	30	2019–20
	पोस्ट बेसिक बी0–एससी0 (नर्सिंग)	35	
	एम0–एससी0 (नर्सिंग)	23	

(1) निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के मानक पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

(2) प्राभूत राशि के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्णित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराना विश्वविद्यालय का दायित्व होगा तथा संस्थान सत्र 2019–20 हेतु प्रश्नगत पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु नियामक संस्था भारतीय उपचर्या परिषद् (I.N.C) से मान्यता प्रमाण पत्र इस सचिवालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् कार्यपरिषद् की आवश्यकता व विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए छात्रहित में संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व यू0जी0सी0 विनियमों/राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी।यदि अपूर्ण मानकों के कारण संस्थान की सम्बद्धता पर प्रश्न चिन्ह अथवा मा0 कुलाधिपति को कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(4) मा0 कुलाधिपति महोदय द्वारा शैक्षिक सत्र 2019–20 की सम्बद्धता अनुमोदन/स्वीकृति छात्रहित में प्रदान की गई है, अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव मानकों से परिपूर्ण हों। अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या :501 (1)/जी0एस0 (शिक्षा)/A15-25/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक, अरिहन्त कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम शान्तरशाह, पो0 दौलतपुर, जिला हरिद्वार।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।